न्यायालय जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी जसमीत सिंह संधू (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 25/2021 आवन्टन निरस्त

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार हमीरगढ, जिला भीलवाडा। –प्रार्थी	**बनाम**	1. लक्ष्मण पिता अमरा रेगर निवासी औज्याडा, तहसील हमीरगढ, जिला भीलवाडा। (फौत देवीलाल, प्रेमलाल पिता लक्ष्मण रेगर) –विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत राजस्थान भू आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4)

1. प्रार्थी की ओर से राजकीय पैरोकार उपस्थित।
2. विपक्षी बावजूद सूचना अनुपस्थित।

न्यायालय जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

निर्णय

दिनांक 20/05/2026

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 (4) राजस्थान भू–आवंटन (कृषि प्रयोजनार्थ) नियम 1970 के संबंध में निवेदन किया गया कि अप्रार्थी लक्ष्मण पिता अमरा रेगर निवासी औज्याडा पटवार हल्का औज्याडा, तहसील हमीरगढ के आराजी नम्बर 2382/1140 रकबा 0.5058 है0 संवत 2052 में आवंटन हुई जो नामान्तरण संख्या 937 दिनांक 09.07.1996 से गैर खातेदारी हक में दर्ज हुई है। अप्रार्थी गैर खातेदार का आवंटन से आज तक मौके पर कब्जा काश्त नहीं है। अप्रार्थी द्वारा आवंटन की पालना नहीं करने से आवंटन निरस्त योग्य है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर गैर खातेदार अप्रार्थी लक्ष्मण पिता अमरा रेगर निवासी औज्याडा पटवार हल्का औज्याडा, तहसील हमीरगढ, जिला भीलवाडा के नाम आवंटित भूमि ग्राम औज्याडा, तहसील हमीरगढ का आराजी नम्बर 2382/1140 रकबा 0.5058 है0 को आवंटन शर्तो की पालना नहीं करने से आवंटन निरस्त कराया जाने का निवेदन किया गया है।

बाद जांच प्रकरण दिनांक 05.08.2021 को पजीबद्व किया जाकर विपक्षीगण को वजह जाहिर हेतु नोटिस जारी किये गये। विपक्षी बावजूद सूचना उपस्थित नहीं होने की स्थिति में आदेशिका दिनांक 16.09.2025 से एकपक्षीय कार्यकारी प्रसारित की गई। प्रार्थी की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने बहस में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया गया कि अप्रार्थी लक्ष्मण पिता अमरा रेगर निवासी औज्याडा पटवार हल्का औज्याडा, तहसील हमीरगढ के आराजी नम्बर 2382/1140 रकबा 0.5058 है0 संवत 2052 में आवंटन हुई जो नामान्तरण

जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

संख्या 937 दिनांक 09.07.1996 से गैर खातेदारी हक में दर्ज हुई है। अप्रार्थी लक्ष्मण पिता अमरा रेगर गैर खातेदार का आवंटन से आज तक मौके पर कब्जा काश्त नहीं है एवं अप्रार्थी द्वारा आवंटन की पालना नहीं करने से आवंटन निरस्त योग्य है।

प्रकरण में प्रार्थी की ओर से राजकीय पैरोकार अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजात का परीक्षण किया गया। जिसके अनुसार पाया गया कि– ग्राम औज्याडा पटवार हल्का औज्याडा, तहसील हमीरगढ के आराजी नम्बर 2382/1140 रकबा 0.5058 है0 संवत 2052 में आवंटन हुई जो नामान्तरण संख्या 937 दिनांक 09.07.1996 से गैर खातेदारी हक में दर्ज हुई है। उक्त भूमि मौके पर आवंटी का कब्जा काश्त नहीं हैं आवंटी द्वारा आवंटन की पालना नहीं की गयी। है। अप्रार्थी स्वंय ने भी आवंटित भूमि पर कब्जा होने संबंधी कोई पुष्ट साक्ष्य पेश नहीं किया है, न ही आवंटन के प्रथम 03 वर्ष में अप्रार्थी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना कर आवंटनशुदा भूमि पर काश्त की गयी हो, इस प्रकार का कोई प्रमाणित दस्तावेज अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नहीं किये गये है। अप्रार्थी आवंटी द्वारा राजस्थान भू आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) की पालना नहीं की जाना प्रतीत होता हैं। उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 14(4) स्वीकार योग्य ठहरता हैं। अतएव–

आदेश

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान भू आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थी के नाम ग्राम औज्याडा पटवार हल्का औज्याडा, तहसील हमीरगढ, जिला भीलवाडा में आराजी नम्बर 2382/1140 रकबा 0.5058 है0 संवत 2052 में आवंटन को खारीज किया जाता है। तहसीलदार हमीरगढ को निर्देशित किया जाता है कि उक्त प्रश्नगत भूमि को कब्जे सरकार लेकर राजस्व रिकॉर्ड में बिलानाम दर्ज किया जावे। निर्णय की प्रति तहसीलदार हमीरगढ, जिला भीलवाडा को प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 20 /05/ 2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जसमीत सिंह संधू)
जिला कलक्टर
भीलवाड़ा